



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी नन्हे उर्फ नन्नु को हुई 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि वर्ष-2002 में अभियुक्त नन्हे उर्फ नन्नु निवासी ग्राम खोदना कलां थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0- 113/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 25.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी 01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नन्हे उर्फ नन्नु को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी ज्ञानेन्द्र को हुई 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त ज्ञानेन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 135/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 25.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त ज्ञानेन्द्र को 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.06.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 561/2024 धारा 147/323/326 भादवि में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.06.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी शारुख पुत्र शकुर निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.तालिब पुत्र नब्बू, 2. दानिश, 3.समीर, 4.शारिक पुत्रगण ताहिर, 5.मोदी पुत्र भूरा, 6.मोनिश पुत्र नामालूम निवासीगण



कस्बा बागपत व 4-5 अज्ञात द्वारा उसके भाई चांद के साथ मारपीट की गयी, जिससे उसके भाई की आँख में गम्भीर चोट आयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 561/2024 धारा 147/323/326 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 561/2024 धारा 147/323/326 भादवि में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

नवेद पुत्र शमशेर निवासी मौ० देशराज कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-का० 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.06.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

पता-

जितेन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री महावीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का० 333 नितेश थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 25.06.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

जितेन्द्र पुत्र रामकुमार निवासी पट्टी रामपुर करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा ।
- 2-का0 1075 मनीष कुमार थाना खेकडा ।